[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 44/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सभी प्रकार के व्यास वाले ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 फरवरी, 2015, जिसे सा.का.नि. 93 (अ) दिनांक 13 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/13/2018-डीजीएडी, दिनांक 04 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के, राजपत्र असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठन में समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और जहां कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मध्यावधि समीक्षा, जिसे अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 07/13/2018-डीजीएडी, दिनांक 08 अगस्त, 2018, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह निष्कर्ष रहा है कि :-

(क) भारत में होने वाले कुल आयात में चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले विषयगत माल का आयात 2012 के 69% से कम हो करके पीओआई अर्थात 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि में 55% हो गया है, जबकि अन्य देशों से होने वाला आयात 2012 के 31% से बढ़कर पीओआई के दौरान 45% हो गया है;

(ख) कुल मिलाकर घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है । घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और विषयगत देश से होने वाले तथाकथित फालतू आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई सारवान क्षति नहीं हो रही है ।

(ग) भारत में इस विषयगत माल की बहुत कमी है और बढ़ते हुए आयात के साथ-साथ घरेलू मांग में होने वाली खास वृद्धि की तुलना में घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है । जिसके कारण घरेलू बाजार में इस विषयगत वस्तु की अत्यंत कमी हो गई है ।

(घ) प्राधिकारी के समक्ष आए मामले के तथ्यों से यह पता नहीं चलता है कि यदि प्रतिपाटन शुल्क को खत्म कर दिया जाए तो कोई भरमार की स्थिति या नुकसान की स्थिति पैदा हो सकती है;

और उनका यह निष्कर्ष है कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित "विषयगत वस्तु" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्कं का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 फरवरी, 2015 जिसे सा.का.नि. 93 (अ) दिनांक 13 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है ।

[फाइल संख्या 354/74/2014-टीआरयू (पार्ट)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार